आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

09/9/16

आदेश

प्रस्तुत मामला उप–निदेशक, कल्याण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के न्यायालय से स्थानन्तरित होकर प्राप्त हुआ है जिसे अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद सं0– 102/15–16 कौशल्या देवी बनाम् सरकार एवं अन्य का मामला पंजीकृत कर सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया है।

अपीलार्थी परियोजना कटोरिया के केन्द्र देवासी, केन्द्र सं0– 51 की सहायिका थी जिन्हे कार्य संचालन में बरती गयी अनियमितता एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के आलोक में निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के पत्र सं0– 956 दिनांक– 14.03.2012 से प्राप्त निर्देश एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटोरिया के अनुशंसा के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 895 दिनांक– 22.06.2012 द्वारा चयनमुक्त किया गया है।

इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका से प्रत्युत्तर की मांग की गई। अनुपालन में प्रत्युत्तर के साथ कागजातों की छाया–प्रति समर्पित किया गया है।

निर्धारित तिथि पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। यह तथ्य रखा गया कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक– 10.12.2011 को अपराह्न 12 बजे निरीक्षण किये जाने की बात झूठी है। वास्तविकता यह हैं कि दिनांक– 10.12. 2011 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण 2:00 बजे के बाद किया गया जिसके कारण केन्द्र बंद पाया गया क्योंकि केन्द्र 2:00 बजे तक ही खुली रहती है। महिला पर्यवेक्षिका ने झूठा रिर्पोट समर्पित किया जिसकी जांच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटोरिया द्वारा नहीं की गई तथा पांच महिना के बाद कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका को समर्पित किया गया।

अपना पक्ष रखा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के ज्ञापांक– 662 दिनांक– 18.05.2012 द्वारा अपीलार्थी से बिना स्पष्टीकरण पूछे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका ने अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद मानकर उन्हें चयनमुक्त किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने एवं चयन पुर्नबहाल करने की प्रार्थना अपीलार्थी की ओर से किया गया।

बहस के आलोक में अभिलेख की जांच की गई एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से ज्ञात होता है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक– 10.12.2011 को 12:00 बजे केन्द्र निरीक्षण पश्चात् यह तथ्य अंकित किया गया है कि–

"निरीक्षण में केन्द्र बन्द पाया वहॉ के गॉव वाले से पूछने पर पता चला कि वो सेविका यहॉ नहीं रहती है और ना कभी केन्द्र खोली है ना केन्द्र चलाई है कई बार निरीक्षण के लिए गई खुला केन्द्र नहीं पाई............।"

महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटोरिया द्वारा सेविका/सहायिका की चयनमुक्ति की अनुशंसा की गई जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के ज्ञापांक 662 दिनांक– 18.05.12 द्वारा सेविका/सहायिका से स्पष्टीकरण किया गया। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाते हुए सहायिका को आदेश ज्ञापांक– 895 दिनांक– 22.06.12 एवं